


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटकासिम (खैरत-तिजारा)

अनवान उसुदन बनाम सुनील
 किस्म मुकदमा 53,188 मु0न0 231 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अटकाम जी इस हु की तारीख में जारी
05.06.2024	<p>वादी/अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत घारा 53,188 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जॉच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना नोटिस अन्दर दो दिवस में पेश करे, अदम अनुपालना आदेश (वादी /अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सशुल्क तलबाना पेश नही करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोडते हुये) दर्ज वाद पत्र काबिले खारिज होगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना सम्मन जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतन/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.06.2024को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम </p> <p>24/6/24</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आज वार मंच, कोटकासिम द्वारा कार्य स्थगन किए जाने का आपन दिया है। पत्रावली वास्ते आदेशिकासुअर अधिप कार्यवाही हेतु दिनांक 24/7/24 को पेश हो</p> <p>24/7/24</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आज वार मंच, कोटकासिम द्वारा कार्य स्थगन किए जाने का आपन दिया है। पत्रावली वास्ते आदेशिकासुअर अधिप कार्यवाही हेतु दिनांक 13/7/24 को पेश हो</p> <p>13/7/24</p> <p>अप्रार्थीगण के द्वारा पत्रावली पेश की गई। वादी वाद को रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना नोटिस अन्दर दो दिवस में पेश करे, अदम अनुपालना आदेश (वादी /अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सशुल्क तलबाना पेश नही करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोडते हुये) दर्ज वाद पत्र काबिले खारिज होगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना सम्मन जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतन/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.06.2024को पेश हो।</p>	

